संख्या– 132 /आठ–1–24–900/2023

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद/मेरठ/अयोध्या एवं
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 15 फरवरी, 2024**

विषयः उत्तर प्रदेश विधान सभा की "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जॉच सम्बंधी समिति" (2022–2023) की दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न बैठक के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, समिति (वित्त) अनुभाग–3 के पत्र अर्द्ध0शा0प0सं0–19/वि0स0/473/(स0वि0–3) 2016 समिति (वित्त) अनुभाग–3 दिनांक 10.02.2024 (छायाप्रति मय संलग्नक) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 22.11.2023 को सम्पन्न मा0 समिति (2022–23) की बैठक की कार्यवाही की प्रति (पृष्ठ संख्या–01 से 34) प्रेषित करते हुए अपने तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के साक्ष्य–अंशों की पुष्टि कराकर कार्यवाही को मूल रूप में एक सप्ताह के अन्दर इस सचिवालय को वापस किए जाने एवं निर्धारित अवधि में पुष्टित कार्यवाही प्राप्त न होने की स्थिति में इसे पुष्टित मान लिया जाएगा। जिन लम्बित प्रस्तरों पर समिति द्वारा कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है उन प्रस्तरों पर कार्यवाही कराकर समिति को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त सम्पन्न बैठक की अपेक्षित सूचना शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 समिति को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Arun Kumar
(अरूण कुमार)
अनु सचिव।

GO-S.G-R

मोहम्मद मुशाहिद
विशेष सचिव ।

137/प्रा०-1-24

अर्द्धशा०प०सं० 19 /वि०स०/473/(स०वि०-3) 2016
समिति (वित्त) अनुभाग-3

विधान भवन,
लखनऊ
दिनांक 10/2/..2024

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश विधान सभा की "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति" (2022-2023) की दिनांक 22 नवम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समिति कक्ष संख्या-48 विधान भवन लखनऊ में सम्पन्न आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक की कार्यवाही की एक प्रति (पृष्ठ सं0-01 से 34) आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया आप अपने तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के साक्ष्य-अंशों की पुष्टि कराकर कार्यवाही को मूल रूप में एक सप्ताह के अन्दर इस सचिवालय को वापस करने का कष्ट करें। निर्धारित अवधि में पुष्टित कार्यवाही प्राप्त न होने की स्थिति में इसे पुष्टित मान लिया जाएगा।

मा0 सभापति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि जिन लम्बित प्रस्तरों पर समिति द्वारा कार्रवाई किये जाने की अपेक्षा की गयी है उन प्रस्तरों पर कार्रवाई कराकर समिति को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
(मोहम्मद मुशाहिद)

श्री नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

निजी सचिव,
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) की बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 22 नवम्बर, 2023 स्थान : समिति कक्ष संख्या-'48'
समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न विधान भवन, लखनऊ।

उपस्थिति

1. श्री सुनील कुमार शर्मा सभापति
2. श्री सुभाष त्रिपाठी सदस्य
3. श्री वेद प्रकाश गुप्ता सदस्य।

विधान सभा सचिवालय के अधिकारीगण

1. श्री मोहम्मद मुशाहिद, विशेष सचिव,
2. श्री अजीत कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव,
3. श्री विमल कुमार सिंह, अनु सचिव।

वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के अधिकारी

1. श्री कुंवर मकरन्द सिंह, संयुक्त सचिव वित्त।

स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग के अधिकारीगण

1. श्री डॉ0 संजीव कुमार, निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा,
2. श्री नीरज कुमार गुप्ता, उप निदेशक,
3. श्री तालिब अली, सा0 निदेशक,
4. श्री देवेन्द्र, उ0प्र0 मेरठ मंडल।

उ0प्र0 शासन/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधिकारीगण

1. श्री नितिन रमेश गोकर्ण, ए0सी0एस0 आवास,
2. श्री रणवीर प्रसाद, आवास आयुक्त,
3. श्री विशाल सिंह, वी0सी0, अयोध्या,
4. श्रीमती अंजू लता, सचिव, मुरादाबाद, विकास प्राधिकरण,
5. श्री मनोज कुमार सिंह, विशेष सचिव, आवास,
6. श्री चन्द्रपाल तिवारी, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण,
7. श्री रमेश चन्द्र, वित्त नियंत्रक एम0डी0ए0,
8. डॉ0 महेश पाण्डेय, एफ0सी, यू0पी0, ए0वी0पी0,
9. श्री डी0वी0 सिंह, सी0ई0 यू0पी0 ए0वी0पी0,
10. श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह, सी0ई0 जी0डी0ए0,
11. श्री अशोक कुमार बाजपेयी, वित्त नियत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

12. श्री राजेश कुमार सिंह, सचिव, जी0डी0ए0,
13. श्री वी0के0 सौनकर, अधीक्षण अभियंता,
14. श्री अजय कुमार राय, अधिशासी अभियंता, अयोध्या,
15. श्री मनोज कुमार सिंह, एफ0ए0ओ0,
16. श्री पी0के0 सिंह, एस0सी0ओ0, एच0पी0डी0ए0।

....

अनुराग-1

(गणपूर्ति के अभाव में आधे घण्टे विलम्ब से बैठक की कार्यवाही श्री सुनील कुमार शर्मा, मा0 सभापति के सभापत्तिव में प्रारम्भ हुई)

(परिचयोपरान्त)

जनपद-गाजियाबाद

क्र0सं0-1, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-27, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-भारतीय पेवर ब्लाक मानक (आई0एस0) 15658/- 2006 से भिन्न अधोमानक पेवर ब्लाक की आपूर्ति लिये जाने व निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किये जाने से धनराशि रूपये 25957617/- का अनुपयोगी व्यय, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2017-18, प्रस्तर सं0-भाग-'क' प्रस्तर-23, सन्निहित धनराशि-रू0 25957617.00

(आडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, इसमें भारतीय पेवर ब्लाक मानक (आई0एस0) के भिन्न अधोमानक पेवर ब्लाक आपूर्ति कर उसमें जो धनराशि है, उसके अनुपयोगी व्यय के संबंध में है।

श्री मानवेन्द्र कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें मुख्य आपत्ति एम0-40 ग्रेड का पेवर ब्लाक न यूज कर एम0-30 ग्रेड का पेवर ब्लाक लगाये जाने के संबंध में है। 3-4 मीटर की गलियों में एम0-30 ग्रेड का पेवर ब्लाक लगाये जाने का डिसीजन था इसलिए एम0-30 ग्रेड का पेवर ब्लाक लगाया गया।

श्री सभापति- इसमें एम0-30 का टेण्डर हुआ और एम0-30 की टाईल्स लगवा दी गयी, इसमें दिक्कत कहां पर है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें जो भी कार्रवाई हुई है उसमें आपत्ति का आधार यह है कि भारतीय मानक संख्या-15658/ 2006 में जो मानक बनाये गये थे, उन मानकों का पालन किया गया है इससे संबंधित साक्ष्य पत्रावली में नहीं हैं।

श्री सभापति- केवल इतना है कि जो साक्ष्य थे, उनमें मानकों का अनुपालन हुआ है या नहीं वह पत्रावली पर उस वक्त उपलब्ध नहीं थे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- यह कह रहे है कि इन्होंने मानक पूरे किये हैं तो उसके साक्ष्य हमें दिखा दें। इसमें यह नहीं मान रहे है कि काम असंतोषजनक है या अधोमानक है। इसमें मानक था कि न्यूनतम 8 नमूनों का चयन किया जायेगा, 28 दिनों के लिए

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कम्प्रेसिव स्ट्रैन्थ का परीक्षण किया जायेगा। नमूनों की संख्या 8 से कम रखते हुए 28 दिनों से पूर्व घोषित स्ट्रैन्थ को स्वीकार कर लिया गया था। इस तरह से कई मानक बने थे उस मानक के साक्ष्य हमें दिखा दें, बाकी इनका अनुपालन ठीक है। इनका कहना है कि हमने मानकों का अनुपालन किया है।

<u>श्री सभापति-</u> इन्होंने एम0-30 का टेण्डर दिया और एम0-30 की टाईल्स लगा दी। काम पूरा हो गया और वह संतोषजनक है, उसका जो भी प्रमाण-पत्र आपके पास है वह आप आडिट विभाग को दे दीजिये। इस आपत्ति को निस्तारित किया जाता है।

(निस्तारित)

<u>क्र0सं0-1, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-5, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-ई0डब्लू0एस0 भवनों के विक्रय मूल्य से अधिक लागत रूपये 129054422/- एवं विकसित भूमि की लागत को एच0आई0जी0 एवं एम0आई0जी0 भवनों पर भारित न करने के कारण प्राधिकरण निधि को आर्थिक क्षति पहुँचाया जाना, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर सं0-भाग-'क' प्रस्तर-(एक)3, सन्निहित धनराशि- रू0 129054422.00</u>

<u>(आडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)</u>

<u>श्री नितिन रमेश गोकर्ण-</u> मान्यवर, यह प्रस्तर ई0डब्लू0एस0 भवनों के विक्रय मूल्य से अधिक लागत एवं विकसित भूमि की लागत को एच0आई0जी0 एवं एम0आई0जी0 भवनों पर भारित न करने के कारण प्राधिकरण निधि को आर्थिक क्षति पहुँचाने के संबंध में है।

<u>श्री राजेश कुमार सिंह-</u> मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि प्राधिकरण की व्यवस्था है कि ई0डब्लू0एस0, एच0आई0जी0 और एम0आई0जी0 बनाये जाते हैं। सामान्य तौर पर ई0डब्लू0एस0 की जो कास्टिंग होती है, उसको एच0आई0जी0 और एम0आई0जी0 पर लोड कर दिया जाता है। जिस समय ई0डब्लू0एस0, एच0आई0जी0 और एम0आई0जी0 बनाये गये उस समय की लागत रू0 380 लाख की थी, तत्समय उसको लोड कर दिया गया था। एच0आई0जी0 और एम0आई0जी0 बन गये और वह सेल आउट हो गये। ई0डब्लू0एस0 बनने में व्यवधान रहा, जो करीब 4-5 साल बाद बन पाये। जो अतिरिक्त धनराशि रही, चूंकि जिस पर लोड करना था उसका विक्रय पहले ही हो गया था। हम लोगों ने यह प्रस्ताव बोर्ड में प्रस्तुत किया कि सम्पत्तियों की नीलामी से जो धनराशियां प्राप्त होगी उसमें रिजर्व प्राइस बढ़ा देंगे।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी- मान्यवर, जो कामर्शियल प्रापर्टी हम लोग बेचेंगे उसका जो रिजर्व प्राइस फिक्स करेंगे उसको इसमें एड-ऑन कर लेंगे, जिसका प्रोसेस चल रहा है।

श्री सभापति- यह आपत्ति वर्ष, 2015-16 की है और उससे पहले वर्ष, 2012-13 के आस-पास का यह प्रकरण होगा। अभी तक आपने इसको कहीं दूसरी जगह समायोजित नहीं किया। यह कई बार बैठक में आ चुका है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, गत बैठक में निर्देश दिये गये थे कि प्रमुख सचिव इसकी जांच कराकर समिति के सामने अगली बैठक में प्रस्तुत करें और इसमें समय निर्धारित कर दें। प्रमुख सचिव ने कहा कि मान्यवर, इसको एक माह में कराकर समिति के सामने अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, इसको भारित कराने का काम बोर्ड को ही करना होता है। ये क्रास सब्सिडाइजेशन का इश्यू है, कम लागत आपको करनी है तो जहां आपकी क्रियशीलता ज्यादा हैं उस पर उसको लोड कराते हैं। ये लोड कराकर आपको और शासन को अगवत करा देंगे।

श्री सभापति- यह आप लोगों के ही स्तर पर होना है। इसमें कोई फाइनेंशियल इश्यू नहीं है। यह आपको ही देखना है कि आपके डिपार्टमेंट में जितना पैसा आ जाय। यह आपत्ति वर्ष, 2015-16 का है और उससे 2-3 साल पुराना यह प्रकरण होगा। आपको अभी तक इसका निस्तारण कर देना चाहिए था। प्रमुख सचिव साहब इसका समायोजन कैसे होगा?

श्री नीतिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, इसमें दो चीजे है। आपको जो इससे नुकसान हो रहा है या तो अपनी बैलेंस सीट में उसको हिट ले लीजिये या तो कोई क्रियशील सम्पत्ति पर लोड करके आप उसको रिकवर करिये। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप कर सकते है, ये बोर्ड तय करे कि इनको क्या करना है क्योंकि शासन इस संबंध में कोई निर्देश दे नहीं सकता है, उसके लिए बोर्ड ही सक्षम है।

श्री सभापति- आप इसे छोड़ना चाहें तो बोर्ड में प्रस्ताव लाकर इसको खत्म कर दीजिये। यह बहुत पुराना प्रकरण है।

श्री नीतिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, एक चीज और आयेगा। इनका जो प्राफिट है उसमें उतना आयेगा जितना आप बतायेंगे फिर उसको रि-एस्टीमेट करना पड़ेगा, उस साल का प्राफिट कम करना पड़ेगा, जो इनका अपना रहता है।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी- मान्यवर, यह विषय पिछली बोर्ड बैठक में रखा गया था तो उसमें यह प्रपोजल गया था कि हमें और जगह पर एड-ऑन करना है, उसमें जो आरक्षित मूल्य है हमारी नीलामी में जो हमारा प्राफिट वाला पोरशन है उसे एक्यूमुलेट

कर दिया जाय, ऐसा डिशकशन वहां पर हुआ था लेकिन बोर्ड का प्वाइंट आफ व्यू यह था कि आपका प्राफिट का जो पोरशन है, आप आरक्षित मूल्य से ज्यादा जितने का आप बेच रहे है उसकी बजाय जो आपकी इनीशियली प्रापर्टी है जो अभी आप क्रिएट कर रहे है उनमें आप इसको एड-ऑन करें, उसके आरक्षित मूल्य में इसको एड-ऑन करें। इसी तरह का प्रस्ताव हम लोग बोर्ड में जाकर करायेंगे।

श्री सभापति- समिति का निर्देश है कि आप इसको किसी में जमा करें या इसको समाप्त कर दें। आप हमको यह बता दीजिये कि बोर्ड इस पर कब तक निर्णय ले लेगा। दोनों स्वतंत्रा हम आपको दे रहे है। हम यह नहीं कह रहे है कि आप वसूल लें, यह पुराना विषय है। एल0आई0जी0 और एम0आई0जी0 मकान बिक चुके है।

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, यह पूर्व की सम्पत्तियों में नहीं जुड़ेगा।

श्री सभापति- पूर्व में नहीं जुड़ेगा लेकिन जो आपकी आने वाली योजनायें है उसमें किसी में जोड़ लें। जैसे भी हो आप इसे खत्म कीजिये।

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें यही निर्णय लिया गया कि कामर्शियल प्रापर्टी में हम अपने आरक्षित मूल्य बढ़ा दें क्योंकि कामर्शियल प्रापर्टी हमारी महंगी बिकती है।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, आरक्षित मूल्य अगर हम 10 की बजाय 12 करोड़ रख देंगे तो यह टेक्निकल विषय हो जायेगा। बिकना तो उसको 15 करोड़ में ही है इतने हेड से उसको कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये अपने रिकार्ड में उसको माइन्स करके दिखा दें कि हमने हिट ले लिया है और उसको कर दें, यह सब कराने का कोई फायदा नहीं है।

श्री सभापति- आप या तो उसको आरक्षित मूल्य में दिखा दें या फिर उसको खत्म कर दें। आप इसे यहां से निस्तारित करवाईये। यह तीन बार बैठक में आ चुका है। आप इसमें समय सीमा बता दीजिये।

श्री रमेश कुमार सिंह- मान्यवर, 2 माह का समय दे दीजिये।

श्री नीतिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, 31 दिसम्बर तक इनका क्वार्टर होता है, 31 दिसम्बर तक बोर्ड की बैठक में रख कर इसको निस्तारित कर लीजिये।

श्री सभापति- ठीक है, आप 31 दिसम्बर, 2023 से पूर्व बोर्ड की बैठक रखकर उसमें इस पर निर्णय लें तब तक यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रम0सं0-2 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 6, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण को दिये गये रुपये 50.00 करोड़ ऋण का भुगतान समय से न करने पर दण्ड ब्याज की व्यवस्था न करने से रुपये 152577358/- की क्षति एवं रुपये 611062789/- वसूली हेतु शेष रहना। कार्यालय /यूनिट का नाम- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या- भाग-क प्रस्तर-(एक) 4सन्निहित धनराशि रु0, 152577385/-

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- महोदय, इसमें हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण को 50 करोड़ ऋण का भुगतान समय पर न करने पर दण्ड ब्याज न करने से जो क्षति हुयी है उसकी वसूली का शेष है। महोदय, इसमें एक प्राधिकरण ने दूसरे प्राधिकरण को ऋण दिया है।

श्री सभापति- इसमें यह पैरा तीसरी बार आया है, मेरा प्रश्न यह है क्या एक अथॉरिटी को यह राइट है कि वह लोन ब्याज पर दे दे। अभी हो क्या रहा है कि सभी विकास प्राधिकरण नें बोर्ड को सर्वोपरि मान लिया है। मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने प्रस्ताव पास करके भत्ते देने शुरू कर दिये। न ही शासन को कोई सूचना है और न ही कोई अनुमति है। तो जिन उद्देश्य के लिए अथॉरिटी का गठन हुआ वह उन्हीं पर तो निर्णय ले सकता है। बोर्ड बैंकिंग एजेंसी कैसे बन गया। लोन देने का काम बैंक का है, फाइनेंस कंपनियों का है और वह भी ब्याज पर।

श्री पी0के0 सिंह- महोदय, इसमें 2007 में अनुदान उन्नति भूमि अधिग्रहण दर पर लोन लिया गया था और इसमें 8 करोड़ 12 लाख बकाया था। जिसको हमने अप्रेल में अदा कर दिया था। इसको हमने उस समय अपने बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के लिए रखा था। फिर हमारे बोर्ड ने इसमें निर्णय लिया था कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड में इसको रख के आपस में बात करके कोई समाधान निकाल लिया जाए। इसमें महोदय, वर्ष 2018 में जी0डी0ए0 का लेटर भी आया था कि आप हमारा मूलधन वापिस कर दें। उसके बाद हमने मूलधन वापिस कर दिया था।

श्री सभापति- ऑडिट विभाग की आपत्ति क्या है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें आपत्ति यह है कि जो इनको ऋण दिया गया था, उस पर दण्ड ब्याज नहीं लगाया गया है। इसमें मूल धनराशि रुपये 41,15,78,672.

00 और ब्याज रुपये 19,93,49,792.00 है, कुल मिलाकर रुपये 61,09,28,464.00 की धनराशि है।

श्री सभापति- आपने कितना पैसा वापिस दे दिया है?

श्री पी0के0 सिंह- महोदय, हमने रुपये 50 करोड़ वापिस दे दिया है।

श्री सभापति- अब आप हमें यह बताइये कि रुपये 41 करोड़ पर ब्याज की राशि क्या है? दण्ड ब्याज का प्रावधान होना ही नहीं चाहिए।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, यह उदाहरण उससे लिया गया है कि जैसे आवंटी होते है और उन पर दण्ड लगाते हैं।

श्री सभापति- तो यह आवंटी थोड़ा ही हैं।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें ब्याज पर ब्याज है।

श्री सभापति- आपका कहना है कि रुपये 50 करोड़ देने के बाद 61 करोड़ बाकी है? आप हमें यह बताइये कि आपने इनसे कितना पैसा लिया?

श्री राजेश कुमार सिंह- महोदय, हमने इनसे 50 करोड़ रुपया लिया था।

श्री सभापति- आपने इनसे टोटल 50 करोड़ रुपया लिया, लेकिन यह तो 39 करोड़ रुपया बता रहे हैं।

श्री नीरज कुमार- महोदय, जो इन्होंने मूलधन नहीं दिया है, हमारी आपत्ति उस ब्याज की देयता को लेकर है।

श्री सभापति- इसमें मूलधन कितना है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, मूलधन 50 करोड़ रुपये है और उस पर ब्याज रुपये 15 करोड़ 25 लाख है।

श्री सभापति- लेकिन अब आपने 15 करोड़ रुपये का ब्याज 61 करोड़ बना दिया है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, यह हमने नहीं बनाया है, यह इनकी अनुपालन आख्या में आया है। महोदय, 61 करोड़ की फिगर जी0डी0ए0 ने अपने लेटर में ड्रा की है। हमारी आपत्ति तो केवल 15 करोड़ 25 लाख रुपये थी।

श्री सभापति- इसमें ऐसा किया जाए कि दोनों आवास के विभाग और दोनों अथॉरिटी के मामले को प्रमुख सचिव जी, स्वयं दोनों संस्थाओं को बैठाकर के अपने स्तर से तय करें और 3 महीने में इसका निस्तारण करके समिति को अवगत करायें, प्रमुख सचिव जी, के निर्णय तक यह प्रकरण लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रम0सं0-3 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 9, ऑडिट पैराज ससम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, प्रताप विहार के 348 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स की कीमत ब्रोशर में 2.00 लाख बताकर आवंटन के बाद 7.00 लाख करने से प्राधिकरण को अनावश्यक मुकदमेंबाजी में फसाना एवं हारने पर रुपये 174000000/- की क्षति सम्भव्य। कार्यालय /यूनिट का नाम- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या- भाग-'क' प्रस्तर-(एक)6 सन्निहित धनराशि रु0, 174000000/-

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री सभापति- यह प्रस्तर भी पहले जैसा ही है, इसमें प्रमुख सचिव जी, 31 दिसम्बर 2023 तक बैठक कर के निर्णय लेंगे तब तक यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रम0सं0-4 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 10, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, प्राधिकरण द्वारा मैट्रो सेस की वसूली रुपये 11.85 करोड़ के सापेक्ष मेट्रो परियोजना हेतु रुपये 236.70 करोड़ 31 मार्च, 2016 तक भुगतान किये जाने के कारण प्राधिकराण निधि पर अनियमित व्यय भार रुपये 224.85 करोड़। कार्यालय /यूनिट का नाम- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या- भाग-'क' प्रस्तर-(एक)7 सन्निहित धनराशि रु0, 224.85 करोड़।

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- महोदय, इस प्रस्तर में प्राधिकरण द्वारा मैट्रो सेस की वसूली रुपये 11.85 करोड़ के सापेक्ष मैट्रो परियोजना को जो पैसे रुपये 236 करोड़ दिये गये थे, उसका भुगतान किये जाने के लिए प्राधिकरण निधि पर अनियमित व्यय रुपये 224 करोड़ का है।

श्री सभापति- ऑडिट विभाग वालें बताएं।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, जब दिल्ली मैट्रो विस्तार होना था, उसका जब विस्तार हुआ, तो उसमें जितना भी पैसा खर्चा होना था उसमें भारत सरकार का अंशदान तथा आधी निधि उत्तर प्रदेश से जी0डी0ए0 का योगदान और दिल्ली मैट्रो कॉरपोरेशन का योगदान, इन सबकी हिस्सेदारी तय की गयी। अब सवाल यह है कि बाकी सब ने अपने हिस्सा नहीं दिया, केन्द्र सरकार ने दिया, जी0डी0ए0 ने अपना दिया और बाकी जिस-जिस को अपना हिस्सा शेयर करना था, उन्होंने नहीं किया। इस तरह से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का योगदान होना था रुपये 525.10 करोड़ जो बाद में संशोधित होकर के हुआ रुपये 695 करोड़। लेकिन वास्तविक अनुदान इन्होंने रुपये 236 करोड़ किया, बकाया अंशदान इनका रहा रुपये 459 करोड़। गाजियाबाद नगर निगम का अंशदान रुपये

185 करोड़, संशोधित होकर हुआ रुपये 246 करोड़, वास्तविक अंशदान इनका शून्य है। इन पर बकाया रुपये 246 करोड़ रुपये है। आवास विकास परिषद का योगदान होना था रुपये 440 करोड़, वास्तविक योगदान केवल 50 करोड़, इनका बकाया रह गया है रुपये 390 करोड़। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निगम का योगदान होना था रुपये 97 करोड़ और इनका योगदान हुआ 3.3 करोड़। महोदय, जो बाकी लोगों ने अपना शेयर नहीं किया है, यह उस पर आपत्ति है।

श्री सभापति- इसमें अभी जी0डी0ए0 ने भी पूरा पैसा दे दिया है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, जी0डी0ए0 ने बाद में तो पूरा ही कर दिया था। क्योंकि योजना तो पूरी हो गयी, रनिंग कंडिशन में आ गयी।

श्री सभापति- अब जो जी0डी0ए0 के हिस्से में आया, वह जी0डी0ए0 ने पूरा पैसा दे दिया है।

श्री नीरज कमार गुप्ता- महोदय, जी0डी0ए0 ने बाकी का भी हिस्सा दे दिया।

श्री सभापति- जी0डी0ए0 ने बाकी का किसका हिस्सा दिया?

श्री राजेश कुमार सिंह- महोदय, मैं इसमें कुछ बताना चाहूंगा, इसमें जब पूरी धनराशि कैलकुलेट होकर के आयी तो यह रुपये 1781 करोड़ की थी। यह पूरा पैसा उनको दे दिया गया और हमे जो लेना है दूसरे विभांगों से, उसमें आपत्ति यही है कि वह पैसा हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसमें एक नगर निगम गाजियाबाद है दूसरा यूपीसीडा है।

श्री सभापति- नगर निगम से कितना पैसा लेना है?

श्री राजेश कुमार सिंह- महोदय, नगर निगम से कुल रुपये 246 करोड़ लेना है और रुपये 20.39 करोड़ आवास विकास परिषद से लेना है और यूपीसीडा से अब देयता नहीं है।

श्री सभापति- आवास विकास पर तो थोड़ा ही पैसा है।

डॉ0 महेश पाण्डेय- महोदय, आवास विकास परिषद को जो पैसा देना था उसमें से रुपये 324 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और यह रुपये 20 करोड़ अवस्थापना विकास से किया जाना है, लेकिन अवस्थापना विकास परिषद को कई सालों से कोई धनराशि नहीं मिल रही है।

श्री सभापति- अवस्थापना विकास परिषद को धनराशि क्यों नहीं मिल रही है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें गत बैठक में निर्णय यह हुआ था और जो प्रमुख सचिव महोदय, ने कार्यवृत्ति में लिखा है और आश्वासन दिया है कि मान्यवर, वित्त विभाग यह धनराशि नहीं दे पा रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब यह धनराशि देगा तभी सम्भव हो पाएगा। अगले वित्त वर्ष में वित्त विभाग से स्टांप डयूटी की 2

प्रतिशत धनराशि प्राप्त होती है तो उसको इसमें समायोजित करने पर विचार कर सकते हैं, मेरा अनुरोध है इस प्रस्तर को अभी लम्बित रहने दिया जाए।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- महोदय, अभी कई साल से वित्त विभाग इस बजट में कोई पैसा नहीं दे रहा है, 2 प्रतिशत पैसा जो हमे पहले स्टांप डयूटी का मिलता था वह लगभग 4-5 साल से यह किसी प्राधिकरण को नहीं मिल रहा है। इसका हमने फिर से एस0एन0डी0 बनाकर वित्त को भेजा है। या तो इस साल या फिर अगले साल सप्लीमेंट्री में जब यह पैसा मिलेगा, तब ही हम लोग पैसा दे पायेंगे।

श्री सभापति- नगर निगम का क्या स्थति है?

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- महोदय, नगर निगम भी पैसा देने की स्थति में नहीं है।

श्री सभापति- अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

अनुराग-2

क्र0सं0-5, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-17, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-सार्वजनिक उपक्रम की प्रोफार्म दरों पर विनियोगा प्रोटेक्शन ग्रुप को डेटा एन्ट्री आपरेटर्स आपूर्ति का ठेका गतिमान रहने के कारण प्राधिकरण निधि से धनराशि रूपये 8358804/- का दुर्विनियोजन किया जाना, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर सं0-भाग-'क', सन्निहित धनराशि-रू0 8358804.00

(आडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, यह प्रस्तर सार्वजनिक उपक्रम की प्रोफार्मा दरों पर विनियोगा प्रोटेक्शन ग्रुप को डेटा इन्ट्री आपरेटर्स आपूर्ति का ठेका दिये जाने से प्राधिकरण निधि से धनराशि रूपये 83,58,804 का दुर्विनियोजन किये जाने के संबंध में है।

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें आपत्ति का बिन्दु यह है कि जो हमारे कुशल श्रमिक की दर है और प्राधिकरण ने अपने टेण्डर में जो दरें सम्मिलित की है, उस पर आडिट आपत्ति थी। प्राधिकरण का इसमें यही उत्तर था कि उसने जो दर सम्मिलित की है उसे निक्सी और आवास बंधु से लिया था। इसमें मै एक तथ्य और रखना चाहूंगा कि श्रमिक कल्याण के लिए जो न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है वह यह कहता है कि उससे कम धनराशि नहीं दी जा सकती है। कम्प्यूटर आपरेटर एक श्रमिक कुशल है और वर्तमान में हमारी न्यूनतम धनराशि श्रमिक कल्याण और पी0डब्ल्यू0डी0 की तरफ से डिसाईडेड है। पी0डब्ल्यू0डी0 ने अभी आपरेटर्स की दर रू0 20,000 डिसाइडेड की है। इनकी दरें हमेशा ज्यादा रही हैं। प्राधिकरण ने इसमें कोई वित्तीय अनियमित्ता नहीं की है। यह प्रकरण वर्ष, 2015-16 का है, उस समय कम्प्यूटर आपरेटर को रू0 12000 दिया था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, आपत्ति बहुत लम्बी है, इसके कई हिस्से है, इन्होंने रेट आवास बन्धु से लिया है। आवास बन्धु का गठन आवास विकास के अधीन वर्ष, 1977 में एक चिंतन केन्द्र के रूप में किया गया था जिसका कार्य लोक शिकायतों का समाधान करना था।

श्री सभापति- इन्होंने आवास बन्धु से लिया या फिर अपने आप तय किया है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। इन्होंने रू0 12000 दिया, आपके अनुसार कितना होना चाहिए था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, वर्ष, 2012 में रू0 7905.02 प्रतिमाह की दर थी। कुशल श्रमिक के लिए श्रम आयुक्त कार्यालय का शासनादेश है।

श्री सभापति- क्या रू0 8,000 में कहीं कम्प्यूटर आपरेटर मिल जायेगा? एक लेबर से तो ऊपर की कैटेगरी होनी चाहिए। वर्ष, 2007 तक कंप्यूटर नहीं आये थे, पहले टाईपिंग मशीनें थीं, मैं जब पहली बार विधायक बना उस समय रू0 8,000 महीना दिया जाता था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, लेबर रेट तो और भी कम रहता है, उस समय रू0 248.00 था।

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, उनका नियम यह है कि न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए, उसके ऊपर तो हम दे ही सकते हैं।

श्रीमती अंजू लता- मान्यवर, हम लोग न्यूनतम दर डिसाईड करते हैं, कोई भी एजेंसी उससे ज्यादा अधिकतम दर दे सकती है। वह उसकी कैपेसिटी पर डिपेण्ड करता है।

श्री सभापति- हमने आपकी यह बात मान ली कि यह मजदूरी न्यूनतम है। यह भी मान लिया कि आप न्यूनतम से अधिक मजदूरी दे सकते हैं। आप सिर्फ इतना बता दीजिये कि आपने दर निर्धारण करने की क्या प्रक्रिया अपनायी थी, उसका आधार क्या था?

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, निर्धारण की प्रक्रिया यह थी कि दो जगह से प्राधिकरण ने रेट लिये। तत्समय निक्सी से और यू0पी0डेस्को से पूछ लिया जाता था कि कोई ऐसा श्रमिक है, उसकी दरें क्या कर दी जायें। निक्सी भारत सरकार की संस्था थी और वह कंप्यूटर आपरेटर को इतना पैसा पेमेण्ट करती थी। हमारा स्वयं का विभाग आवास बंधु था, वहां पर कंप्यूटर आपरेटर भी इन्हीं दरों पर रखे गये थे।

श्री सभापति- क्या इसके लिए कोई टेण्डर निकाले गये थे?

श्री राजेश कुमार सिंह- जी मान्यवर, टेण्डर निकाले गये थे।

श्री सभापति- क्या टेण्डर में कोई आपने दर निश्चित की थी?

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, यही दरें निश्चित की थी। टेण्डर में जो दरें निश्चित की गयी थी वह रू0 12,548.00 प्रति माह थी।

श्री सभापति- आपका कोटेशन कितने पर आया है?

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, कोटेशन उतने पर ही है। नियम यह है कि जो दर हम निर्धारित करेंगे उसके ऊपर हम उनको सेंटेज देंगे। अभी भी जो इस तरह के श्रमिकों की दरें होती हैं, उन पर हम अलग से सेंटेज देते हैं और उस सेंटेज पर टेण्डर होता है।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, एजेण्डे के पृष्ठ संख्या-22 पर लिखा है कि एक प्रतिभागी मै0 विनियोगा प्रोटेक्शन ग्रुप द्वारा 0 प्रतिशत बी0ओ0क्यू0 दर पर अपना निविदा प्रस्ताव दिया गया। जबकि निविदायें बी0ओ0क्यू0 दर पर आमंत्रित ही नहीं की गयी थी।

विनियोगा प्रोटेक्शन ग्रुप की निविदा दोषपूर्ण होने के कारण ग्राह्य या विचारण क्षेत्र में लिये जाने योग्य नहीं थी यदि विनयोगा प्रोटेक्शन ग्रुप आरक्षित मूल्य (रिजर्व प्राइस) से कम पर ठेका लेने का इच्छुक था तो वह रिजर्व प्राइस से 7 प्रतिशत निम्न का प्रस्ताव निविदा पत्र में अंकित कर सकता था। इसमें बेसिक इश्यू यही है, इनको बी0ओ0क्यू0 और रिजर्व प्राइस का समाधान करना है। बाकी जो रेट है उनमें निविदा संशोधित करने हेतु दिनांक 27.12.2014 को अवसर प्रदान किया गया था। एक प्रतिभागी को निविदा संशोधित करने को अवसर प्रदान किया जाना सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को भंग कर दूषित करने तथा सम्बन्धित को लाभान्वित करने का प्रमाण था। इसमें रेट का इश्यू नहीं है, बी0ओ0क्यू0 का इश्यू है।

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, अभी हम थर्ड पार्टी से जेम के माध्यम से मानव आपूर्ति ले रहे है, वह भी 0 प्रतिशत पर मिल रही है। 4-5 पार्टियां पार्टिसिपेट करती है, उनको जेम डिसाईड कर देता है। सब लोग न्यूनतम में अपने लाभ का प्रतिशत शून्य ही डालते है और उसी शून्य पर अप्लाई करते है और जेम आटोमेटिकली डिसाईड कर देता है, पूरे प्रदेश में ही लगभग ऐसा होगा कि सब जगह शून्य पर अप्लाई करते हैं। अगर कोई पार्टी शून्य पर अप्लाई कर रही है तो नियम यही है कि निगोसियेशन हम केवल और केवल फर्स्ट से ही करेंगे, दो लोगों को बैठा करके कोई निगोसियेशन नहीं करेंगे। उनसे हम कह सकेंगे कि आपने अगर 4 प्रतिशत मांगा है तो उससे कम और कितने पर आयेंगे। परन्तु, वर्तमान परिस्थितियों में जेम पर हम मेन पॉवर सप्लाई वाले जितने भी टेण्डर डालते है वह सभी शून्य पर ही कोड होते है और जिम उसको बाद में आटोमेटिक्ली न्यूनतम सेलेक्ट करके देता है।

श्री रणवीर प्रसाद- आपने तो इसमें खुद ही माना है कि अनियमित्ता हुई है।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, एजेण्डे के पृष्ठ संख्या-25 के लास्ट पैरा में अतः उपरोक्तानुसार परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही मै0 विनियोग प्रोटेक्शन ग्रुप के निविदा को प्राधिकरण हित में स्वीकार किया गया है। यह जो भी किया गया है इसमें तत्समय 0 प्रतिशत के बाद भी लिया गया।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता- इसमें लिखा है कि निक्सी को भारत सरकार की किसी भी श्रेणी के श्रमिक को भुगतान करने का अधिकार नहीं है।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, निक्सी को केवल एक इंडीकेटिव रेट बतायेंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- इन्होंने टेण्डर में रूपये 12,548 प्रति माह श्रमिक का फिक्स किया। इन्होंने 7 प्रतिशत ऑपरेटिव मर्जिन मनी जोड़ा और 12.36 प्रतिशत सेवाकर जोड़ा। इनको जोड़ते हुए इनकी रिजर्व प्राइस रू0 2,71,56,275.00 आयी। पहले इसमें टेण्डर हुआ

फिर वह निरस्त हुआ और फिर दोबारा टेण्डर शार्ट नोटिस पर हुआ उसमें 4 फर्मे आयीं। उसमें विनियोगा भी आयी। विनियोगा ने सबसे खास काम यह किया कि टेण्डर को कोड न करके बी0ओ0क्यू0 पर किया और उसको उसने जीरो कर दिया। अर्थात उसने न सर्विस टैक्स जोड़ा और न उसने आपरेटिव माइन जोड़ा। उसने पहला काम यह गलत किया और बाद में जब टेण्डर खोल दिया गया तो निविदा कमेटी के कहने पर उनकी संस्तुति पर उसको अपना डेट रिवाईज करने का मौका दिया तब उसने 12.36 प्रतिशत सर्विस टैक्स जोड़ा दिया। इन्होंनरू0 2,25,87,840 का जो बो0ओ0क्यू0 डाला था उसमें जब 12.36 प्रतिशत जोड़ा दिया तब वह आटोमैटकली रू0 2,53,79,697.00 पर पहुंच गया। उसमें एक्सेस पेमेण्ट करने के लिए जो प्रक्रिया अपनायी गयी वह पूरी तरह से संदिग्ध और गलत है।

श्री सभापति- इसमें कितने लोगों ने टेण्डर डाला था?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें 04 लोगों ने टेण्डर डाला था।

श्री नीतिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, यह 03 लोग टैक्निकली भी क्वालीफाई नहीं हुए है एजेण्डे के पृष्ठ संख्या-22 पर उल्लिखित है कि निविदा का नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाश के उपरान्त निविदा आमंत्रित की गयी, जिसमें 04 निविदाएं प्राप्त हुई जिसमें तीन निविदादाता तकनीकी रूप से अर्ह होने की स्वीकृति उपरान्त तीन निविदाओं की प्राइस बिल खोली गयी, जिसका परीक्षण निविदा समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

आडिट- मान्यवर, बी0ओ0क्यू0 पर डालने वाली यह एक इकलौती फर्म है।

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, गवर्मेट के टैक्स तो अतिरिक्त रहते ही हैं।

श्री नीतिन रमेश गोकर्ण- गवर्मेट का टैक्स तो डिपेण्ड करता है कई बार आप बिड क्योर मांगते हो और टैक्सेस एक्स्ट्रा करते हो और कई बार आप इंक्लूसिव करते हो। यह दोनों प्रक्रिया सही है। इसमें कोई गलत नहीं है लेकिन बिड पैरामीटर क्या होगा यह आप बताते हो कि इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। एक बार आपने बिड पैरामीटर फ्रीज कर दिया तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं करते हैं। यदि आप कहते है कि इंक्लूसिव नहीं है तो जितना भी टैक्स आयेगा उसका भार उसी पर रहेगा। अगर कल टैक्स बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ टैक्स भी उसी को देना है। बी0ओ0क्यू0 पर दिया जाना स्पीकली सिपिंग वह बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, एक वित्तीय शर्त यह भी थी कि उसमें जो भी फर्मे भाग लेंगी उन फर्मो को उनके साथ पार्टनंशिप करने की डीड/एम0ओ0ए0 फार्मेशन भी प्रमाणित करती है, जो इसके साथ नहीं की गयी। जवाब में यह नहीं कहा है।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, एजेण्डे से ऐसा लग रहा है कि जैसे बी0ओ0क्यू0 एक ही व्यक्ति को दिया जाना है उसके बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फिर उसी को दिया गया।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- बी0ओ0क्यू0 को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसमें संशोधित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। उसको जो फार्मेल्टी पूरी करनी चाहिए थी वह पूरी नहीं की।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, हम इस प्रकरण की जांच मण्डलायुक्त से जांच करा लेंगे। वह वहीं मेरठ में हैं।

श्री सभापति- ठीक है, इसकी जांच कराकर अगली बैठक में प्रस्तुत कीजिये। तब तक यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्र0सं0-6, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-21, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-राजेन्द्र नगर सैक्टर-2 में 560 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण में पूर्ववर्ती कार्यों में सम्पूर्ण मद न लिये जाने के कारण प्राधिकरण निधि को रूपये 1408008/- की आर्थिक क्षति, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर सं0-भाग-'क' प्रस्तर-(एक)15, सन्निहित धनराशि-रू0 1408008/-

(आडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री सभापति- यह प्रस्तर भी पहले जैसा ही है, प्रमुख सचिव जी, इस प्रस्तर में भी 31 दिसम्बर, 2023 से पूर्व बोर्ड की बैठक रखकर उसमें इस पर निर्णय लें तब तक यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

जनपद-मेरठ

क्र0सं0-1, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-148, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-बिना शासनादेश के विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मोबाईल भत्ता के रूप में रू0 37,92,600/- अनियमित भुगतान, कार्यालय/यूनिट का नाम-मेरठ विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर सं0-07, सन्निहित धनराशि-रू0 37,92,600.00

(आडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री चन्द्रपाल तिवारी- मान्यवर, दिनांक 03.02.2023 को समिति की बैठक में समिति के निर्देश के क्रम में प्राधिकरण के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का मोबाईल भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वाहन भत्ता को स्थगित कर दिया गया है। इसमें हमने पहले भी निवेदन किया था और फिर निवेदन कर रहे है सम्परीक्षा अवधि वर्ष 2011-12 की बैठक दिनांक 11.02.2021 में यह प्रकरण आये थे, उस समय यह प्रकरण निस्तारित कर दिये गये थे। अब फिर से मना कर दिया गया है।

श्री सभापति- पिछली बैठक में जब हमने भत्तों को बंद किया होगा तब यह कहा होगा कि इसमें शासन से निर्देश लें आप अपनी मर्जी से भत्ता नहीं दे सकते हैं।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, आपके निर्देशों के अनुसार सभी प्राधिकरणों को यह कहा कि शासन ने भत्तों के संबंध में जो दरें निर्धारित की है सभी प्राधिकरण उसी को एडॉप्ट करें उससे इतर न करें। हमने वही रिट्रेट किया जो आपके निर्देश थे।

श्री सभापति- आप भी इस बात का ध्यान रखें।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, मै इतने सालों से बैठकें कर रहा हूं इस तरह के प्रकरण जब भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या विकास प्राधिकरण में हुए माननीय समिति का हमेशा यह निर्देश होता है कि इसको आप बंद कर दें या इस शर्त के साथ इनको कर दिया जाय।

श्री सभापति- इनके यहां बंद तो बंद हो गये। हमें इसकी पुख्ता जानकारी इसलिए है क्योंकि इनके यहां के कर्मचारी मेरे पास ज्ञापन लेकर आये थे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, पिछली बार यह बंद हुआ था। यह वित्तीय वर्ष, 2011-12 में रहा और उसके बाद वित्तीय वर्ष, 2015-16 की आडिट रिपोर्ट यह बता रही है कि यह भत्ता देते ही रहे हैं।

श्री सभापति- क्या इस प्रस्तर पर पहले भी चर्चा हुई है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, शासन ने प्राधिकरण से दिनांक 27.10.2023 के द्वारा आख्या मांगी है। आपने जो आख्या दी है, उसे बता दीजिये।

श्री चन्द्रपाल तिवारी- मान्यवर, आख्या में यह निर्देश दिये गये थे कि सुसंगत शासनादेशों के तहत आप आख्या प्रस्तुत करें। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि शासनादेश नहीं है वह बोर्ड के प्रस्ताव से दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2011-12 में आपकी आपत्ति थी और माननीय सदन द्वारा वित्तीय वर्ष, 2011-12 की आपत्तियों पर दिनांक 11.02.2021 को बैठक हुई थी तभी तीनों प्रकरण निस्तारित कर दिये गये थे।

श्री सभापति- अगर आज हम इसको निस्तारित कर दें तो इसका मतलब यह थोड़े ही नहीं होगा कि आप आगे देना शुरू कर दें।

<u>श्री चन्द्रपाल तिवारी-</u> मान्यवर, इसमें यह लिखा हुआ है कि प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुसार ही प्राधिकरण द्वारा इस तरह का भत्ता दिया गया है। सभापति जी द्वारा कहा गया कि ठीक है, इस प्रस्तर को निस्तारित किया जाता है।

<u>श्री नीरज कुमार गुप्ता-</u> मान्यवर, यह नीतिगत मामला है, शासन पद सृजन करता है और सब लाभ शासन तय करता है कि किस पद पर कौन-सा वेतनमान होगा और कौन-सी ए0सी0पी0 होगी।

<u>श्री सभापति-</u> आपकी बात ठीक है, चूंकि समिति ने इसमें स्पष्ट निर्देश नहीं दिया और उसको निस्तारित कर दिया तो इसमें दोनों पक्ष माने जा सकते हैं। इसमें आडिट की आपत्ति लगी हुई थी इसलिए इसको आगे नहीं दिया जाना चाहिए था। समिति ने इसको खत्म कर दिया। मेरे विचार से पिछले आदेश को इस प्रकार मान लेने के कारण यह दे दिया गया होगा तो इस निर्देश के साथ इसको शासन ने भी सबको पत्र दे दिया है कि भविष्य में बिना शासन के निर्देश के किसी भी प्रकार का भुगतान अथारिटी के द्वारा न किया जाय। इसका अब कोई औचित्य तो बनता नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसको सही मान लिया जाय। चूंकि पूर्व में समिति ने निर्णय में स्पष्ट नहीं किया है इसलिए उसका लाभ प्राधिकरण को देते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार का भुगतान शासन के निर्देश/आदेश में उल्लिखित नहीं है। यह तब तक न दिया जाय, जब तक उस पर शासन के द्वारा कोई अनुमति प्राप्त न कर ली जाय। इस निर्देश के साथ इसको निस्तारित किया जाता है।

(निस्तारित)

<u>क्रम0सं0-02 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 148, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, बिना शासनादेश के विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में रू0 36,12,000/- अनियमित भुगतान। कार्यालय /यूनिट का नाम- मेरठ विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या- 08 सन्निहित धनराशि रू0, 36,12.000/-</u>

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

<u>श्री सभापति-</u> यह प्रस्तर पूर्व के प्रस्तर की ही तरह है इस प्रस्तर को भी पूर्व के प्रस्तर के निर्देश के साथ ही निस्तारित किया जाता है।

(निस्तारित)

<u>क्रम0सं0-3 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 148, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, बिना शासनादेश के विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वाहन भत्ते के रूप में रुपये 62,65.200 अनियमित भुगतान। कार्यालय /यूनिट का नाम- मेरठ विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या-9 सन्निहित धनराशि रू0, 62,65.200/-</u>

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

<u>श्री सभापति-</u> यह प्रस्तर पूर्व के प्रस्तर की ही तरह है इस प्रस्तर को भी पूर्व के प्रस्तर के निर्देश के साथ ही निस्तारित किया जाता है।

(निस्तारित)

<u>क्रम0सं0-04 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 149, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, विकास प्राधिकरण द्वारा बेचे गये भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिभार न लिये से रुपये 2,37,66.300/- की धनराशि इन्फ्रास्ट्रक्चर खाते में न जमा कराये जाने से प्राधिकरण को आर्थिक क्षति होना। कार्यालय /यूनिट का नाम- मेरठ विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या-14 सन्निहित धनराशि रू0, 2,37,66. 300/-</u>

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

<u>श्री चन्द्रपाल तिवारी</u>- महोदय, इस प्रकरण में पूर्व की बैठक में मा0 सभापति जी द्वारा निर्देश दिये गये थे कि विकास प्राधिकरण द्वारा 10 प्रतिशत राशि अधिभार की मद में वसूल की जाने वाली धनराशि तथा इससे संबधित आवंटियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए। महोदय, मैंने इसमें जांच करवायी और इसकी सूची भी हमने प्रस्तुत की है,

इसमें जांच करने में पाया गया कि यह टोटल 98 आवंटी थे जिनसे हमें 10 प्रतिशत अधिभार रुपये 23,67,81.545 की वसूली करनी थी। महोदय, शुरू में पहले के लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए कि कहां पर गलती हो गयी और यह वसूली नहीं हुयी। लेकिन प्रकरण जब प्रकाश में आया, तब हम लोगों ने वसूली शुरू कर दी। जब हमने वसूली शुरू की तो 5 बड़े आवंटी चल संपत्तियों को लेकर मा0 उच्च न्यायालय में चले गए और इसमें अभी हमारी रुपये 16,71,4.759 की वसूली स्थगित है। 33 आवंटियों से हम रुपये 1,83,47.327 की वसूली कर चुके हैं। 60 आवंटियों से वसूली की कार्यवाही धीरे-धीरे प्रचलित है। निकट भविष्य में संबंधित धनराशि वसूल कर ली जाएगी। जैसे-जैसे फाइलें आ रही है हम वसूली कर रहे हैं।

श्री सभापति- अगर इनकी फाइलें नहीं आयेंगी, तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। आपेन अभी तक कोई नोटिस जारी किया?

श्री चन्द्रपाल तिवारी- महोदय, ऐसा नहीं होगा, हम इनको नोटिस जारी करके आर0सी0 जारी करेंगे।

श्री सभापति- अभी तक कोई नोटिस जारी किया? यह वर्ष 2015-16 की आपत्ति है और आज हम वर्ष 2023 में बैठे हैं, इसमें रुपये 16 करोड़ वाले लोग तो ऊपर चले गए, रुपये 5 करोड़ वाले लोगों से आपने कोई बात चीत नहीं की, आप मात्र रुपये 23 करोड़ 67 लाख में रुपये 1 करोड़ 83 लाख दे पाये हैं, क्या आपको यह लापरवाही नहीं लगती? एम0डी0ए0 तो बहुत सम्पन्न अथॉरिटी है। यह लगभग 8 साल पहले की तो आपत्ति है, आपत्ति के बाद तो आपके संज्ञान में आ गया होगा, पैसे तो इससे भी पूर्व के होंगे। 8 साल से भी आप ऐसे ही बैठें हैं, इसके प्रति कौन जिम्मेदार है? यह कोर्ट में चले गए उसकी पैरोकारी आप कर रहे हैं?

श्री चन्द्रपाल तिवारी- हां महोदय, काउंटर लगा है।

श्री सभापति- इसकी मुस्तैदी से पैरोकारी होनी चाहिए। ऑडिट विभाग वाले सारी पत्रावली थोड़ा ही देखते है, केवल 5-7 प्रतिशत देखते होंगे।

श्री नीरज कुमार- हम केवल 2 महीने की पत्रावली देखते हैं।

श्री सभापति- ऑडिट विभाग केवल 2 महीने की पत्रावली को देखते हैं, तो क्या आप समिति बनाएंगे जो इस प्रकार के प्रकरणों पर ध्यान दे।

श्री चन्द्रपाल तिवारी- महोदय, 10 प्रतिशत अधिभार से रिलेटेड पूरे मामले जो हमने देखे, वह 98 मामले हैं और उन 98 मामलों का यह डिटेल है, जो हमने अभी बताया है।

श्री सभापति- 98 मामलों में कितना पैसा बाकी है?

श्री चन्द्रपाल तिवारी- महोदय, इनमें रु0 5 करोड़ 12 लाख बाकी है और टोटल मामलों में बकाया रु0 23 करोड़ है।

श्री सभापति- इसमें किसको 10 प्रतिशत अधिभार लेना था, किसकी इसमें लापरवाही रही है, इसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। प्रमुख सचिव साहब, मैं चाहूंगा कि इस पर जिम्मेदारी निर्धारित हो।

श्री नितिन कुमार गोकर्ण- महोदय, हम इस पर जिम्मेदारी निर्धारित करातें है, जो भी प्रकरण 5 करोड़ 12 लाख के बचे हुए है इन सब मे आर0सी0 जारी करा के इनकी हम वसूली कर लेंगे।

श्री सभापति- हाई कोर्ट के निर्णय तक यह लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रम0सं0-05 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 149, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, प्राधिकरण द्वारा कब्जा प्राप्त भूमि 20.619 हेक्टेयर से अतिक्रमण आदि न हटाये जाने से भूमि के अनुपयोगी रहने से प्राधिकरण के रु0 552.93 लाख की आय से वंचित रहना। कार्यालय /यूनिट का नाम- मेरठ विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या-16 सन्निहित धनराशि रु0, 552.93 लाख/-

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री चन्द्रपाल तिवारी- महोदय, इसमें जो ऑडिट आपत्ति हुयी थी वर्ष 31 मार्च 2016 का जो हमारा एम0वी0आर0 है उसके आधार पर हुयी थी। महोदय, उस क्षेत्र में अतिक्रमण की बहुत भारी समस्या है, लेकिन फिर भी हमने प्रशासन के सहयोग से 16 हेक्टेयर का कब्जा ले लिया है, 4 हेक्टेयर अभी कब्जा लेने के लिए बाकी है। उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।

श्री सभापति- इसमें 4 हेक्टेयर की क्या पोजीशन है?

श्री चन्द्रपाल तिवारी- महोदय, वहां पर अभी किसानों का कब्जा है।

श्री सभापति- ठीक है, इसको अभी लम्बित रखा जाता है।

(लम्बित)

क्रम0सं0-06 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 149, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, अनुबंध की शर्तो के अनुसार समय वृद्धि हेतु दण्ड न आरोपित किये जाने से प्राधिकरण को रु0 36.00,907.71 की आर्थिक क्षति होना। कार्यालय /यूनिट का नाम- मेरठ विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या-20 सन्निहित धनराशि रु0, 36.00,907.71/-

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री चन्द्रपाल तिवारी- महोदय, इसमें पिछली बैठक में मा0 समिति द्वारा निर्देश दिये गये थे कि समिति की अगली बैठक में स्पष्ट और तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करके अवगत कराया जाए कि किस-किस कार्य को पूर्ण होने में कितना व्यय हुआ। जोकि मैंने डेट वाइज प्रस्तुत किया है। महोदय, इसमें मुझे यह निवेदन करना है और इसमें मैंने पहले भी यह लिखा था कि जो हमारा क्लाज 5 था उसमें यह था कि अगर ठेकेदार की गलती से विलम्ब होता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। महोदय, इसमें ठेकेदार का दोष नहीं था, बहुमंजली इमारत बन रही थी उसकी ड्राईंग डिजाईन तथा कई बार लिफ्ट की प्रॉब्लम आयी, उस वजह से यह विलम्ब हुआ था, इसलिए ठेकेदार के ऊपर कोई दण्ड नहीं लगाया था। दूसरा इसमें अभी भी पूरा पेमेंट नहीं हुआ है और अंतिम भुगतान के समय हम फिर से देख लेंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, आपत्ति का आधार तो अनुबंध का जो क्लाज 5 है वही है, अब इन्होंने जो विलम्ब शुल्क लगाया है, जिस दर से लगाना था उस दर नहीं लगाया है इसलिए इस आधार पर आर्थिक क्षति आंकलन की गयी है। महोदय, इसमें उदारता तो बरती गयी है, जैसे कि इनका जो 5 वां बिल आया था, वह बहुत विलम्ब से आया था, लेकिन जब इन्होंने छटा रनिंग बिल प्रस्तुत किया है उसके बाद से पहली बार पेनल्टी लागू की गयी थी।

श्री सभापति- अगर मौके की परिस्थितियों के कारण से विलम्ब हो रहा है तो ठेकेदार की क्या गलती है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, अब तो यह बिल देखने पड़ेगें, कि जो इन्होंने तथ्यात्मक आख्या दी है कि उसका क्या कारण था।

श्री चन्द्रपाल तिवारी- महोदय, बिल दिखवा लिए जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति- ऑडिट विभाग चाहता था कि पेनल्टी ली जाए?

श्री नीरज कुमार- महोदय, जब अनुबंध मे ही प्रावधान था, इसीलिए तो दोनों पक्ष उससे बधें हुए थे। अब किसी न किसी को तो पालन करना ही था।

श्री नितिन कुमार गोकर्ण- महोदय, अगर ठेकेदार की गलती है, तब तो हम उस पर पेनल्टी लगाते है, उसमें भी औचित्य होना चाहिए, कागज होना चाहिए, जिससे की साबित हो कि उसकी गलती है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, दण्ड तो लगाया है विकास प्राधिकरण ने, लेकिन उस दर से नहीं लगाया है।

श्री सभापति- अगर ठेकेदार की गलती नहीं है तो फिर आपने दण्ड क्यों लगाया?

श्री वी0के सौनकर- महोदय, इसमें अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो उसमें 10 हजार 20 हजार का दण्ड लगाया है।

श्री सभापति- अगर ठेकेदार काम देरी से कर रहा है तो आप उस पर पेनल्टी लगा सकते है जैसा कि आपका अनुबंध है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ी पेनल्टी लगाकर उसकी औपचारिकता पूरी कर दी। जब ठेकेदार की गलती नहीं थी तो उस पर पेनल्टी क्यों लगायी।

श्री वी0के सौनकर- महोदय, वर्ष 2014 में शुरू में 6 महीना लॉस हुआ, उस समय चुनाव था, लिफ्ट का डिजाइन होना था, कुछ टाईल्स की डिजाइन चेंज होनी थी, पूरी बिल्डिंग की डिजाइन दोबारा करनी पड़ी थी, तो इसमें वी0सी0 साहब ने 6 महीने का आनॅ देट टाईम लगाया था और उनको 6 महीनें की छूट दी थी। लास्ट में जैसे कोई छोटे मोटे मामले होते हैं, तो महोदय, इसमें दो में 10 हजार और एक में 5 हजार तीन बिल्स में पेनल्टी लगायी थी।

श्री सभापति- आपने जो 10 हजार पेनल्टी लगायी वह किस कारण से लगायी, आप उसका उल्लेख करेंगे?

श्री वी0के0 सौनकर- महोदय, इसको हम देखकर चेक कर लेंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, यह कार्य वर्ष 2014 अक्टूबर में पूर्ण होना था, जोकि वर्ष 2020 को 4 फरवरी में पूरा हुआ है।

श्री सभापति- इनका लास्ट बिल कब का है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, दिनांक 20.06.2016 को इनका लास्ट बिल है।

श्री सभापति- इसमें ठेकेदार ने तो अपना कार्य दिनांक 20.06.2016 को कर दिया। वर्ष 2014 में उसको कार्य पूर्ण करना था, यह बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हुआ। क्योंकि बीच में चुनाव भी था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, दिनांक 18.10.2016 का इनका लास्ट बिल था।

श्री नितिन कुमार गोकर्ण- महोदय, इनके कांट्रेक्ट मैनेजमेंट में जो प्रावधान है, उसके तहत इनको कटौती करनी चाहिए, इन्होंने जो टोकन किया है, यह इस वजह से दिक्कत आ रही है और यही जवाब इनको देना है। इन्होंने कटौती नहीं की होती और वर्ष 2016 तक पूरा भुगतान कर दिया होता तो यह आपत्ति भी नहीं आती।

श्री सभापति- यह बहुत सीधा है आप अगर यह बताते समिति को कि जो भी कार्य लेट हुआ वह ठेकेदार की वजह से नहीं हुआ, परिस्थितियों के कारण हुआ। अभी आप पेनल्टी लगा रहे हो तो यह लगता है कि कुछ कमी है। प्रमुख सचिव साहब, आप बताइये इसको क्या करें?

श्री नितिन कुमार गोकर्ण- महोदय, यह ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है, कृपया इसको निस्तारित कर दिया जाए।

श्री सभापति- इस प्रस्तर को निस्तारित किया जाता है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अनुबंध की शर्तें ऐसी बनाएं जोकि व्यवहारिक हों। ऐसा न हो कि आप एक या दो प्रतिशत की कटौती कर दें तो ठेकेदार तो मर जाएगा, लेकिन ऐसा भी न हो कि उसे डर न हो कि मैं कार्य अपनी मर्जी से करूंगा। आप ऐसी दण्ड राशि फिक्स करें जोकि जायज हो और टोकन न काटें। फिर जो अनुबंध है उस अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही कटौती करें। या तो पेनल्टी पूरी लगाओ या तो न लगाओ, इसका भविष्य में ध्यान रखें।

(निस्तारित)

अनुराग-3

क्र0सं0-7, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-149, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-माननीय जनपद न्यायालय द्वारा निर्धारित अवार्ड (प्रतिकर) की धनराशि प्राप्त करने के अतिरिक्त दिनांक 23.09.10 एवं दिनांक 08.04.11 के तहत समझौता के अन्तर्गत देय धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा शताब्दी नगर योजना के अन्तर्गत कंचनपुर घोपला एवं नगला शेरखाँ उर्फ जौनपुर की 620 एकड़ जमीन पर भौतिक कब्जा न प्राप्त करने के कारण विकास प्राधिकरण को रू0 2,07,05,52000.00 की आर्थिक क्षति होना, कार्यालय/यूनिट का नाम-मेरठ विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर सं0-27, सन्निहित धनराशि- रू0 2,07,05,52000.00

(आडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, यह प्रस्तर शताब्दी नगर योजना से संबंधित है। माननीय जनपद-न्यायालय द्वारा जो आवार्ड किया गया प्रतिकर का उसकी धनराशि के अतिरिक्त 02 बार समझौता के अन्तर्गत देय धनराशि के उपरांत प्राधिकरण द्वारा वहां पर मुआवजा दिया गया, इस पर आपत्ति है।

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, निवेदन यह करना है कि माननीय जनपद न्यायालय द्वारा निर्धारित आवास प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के पश्चात किसानों द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर की मांग की गयी थी।

श्री सभापति- इसमें इनकी आपत्ति यह है कि जनपद न्यायालय में दे दिया गया उसके बाद फिर आपने समझौते के आधार पर कर दिया, उसके बाद आप पैसा नहीं देंगे। उसके बावजूद आपने जमीन पर कब्जा नहीं किया तो फिर समझौता काहे का।

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, निर्माण कार्य एक साथ प्रारम्भ नहीं हो सकते थे। इसी बीच भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिशत पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 आ गया, हमने जितना कब्जे में ले लिया था उस निर्माण कार्य शुरू करा दिया था परन्तु जैसे ही 2013 वाला अधिनियम आया किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया।

श्री सभापति- आपने समझौते के आधार पर जो जमीन खरीदी वह तो कहीं लिखा होगा। समझौते के आधार पर जो जमीन ली गयी उस पर तो एक्ट लागू ही नहीं होगा यह अधिग्रहण का होगा। आप अधिग्रहण तो कर नहीं रहे हैं।

श्री चन्द्र पाल तिवारी- मान्यवर, मूल पैसा तो आलरेडी दिया जा चुका था। उसके बाद समझौता किया गया। वहां पर किसानों के विरोध के कारण हम अभी तक कब्जा नहीं ले पाये है। इसमें दो बार प्रयास किया गया। माननीय उच्च न्यायालय से अवमानना की कार्रवाई भी हुई थी। उस समय पथराव हुआ फिर भी कब्जा नहीं ले पाये।

श्री सभापति- आपने जब समझौता किया होगा तब भुगतान किया होगा। आप भुगतान करते और जमीन पर कब्जा लेते।

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, पूरी जमीन पर एक साथ कब्जा नहीं लिया जा सका, जिस वजह से यह समस्या आ गयी।

श्री सभापति- आपने 03 बार उसको पेमेण्ट किया, आप जब अन्तिम बार पेमेण्ट कर रहे थे कम-से-कम तब आपको यह कहना चाहिए था कि जमीन को खाली करिये।

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, उस समय जमीन खाली हो गयी थी, कुछ जमीनें खाली नहीं हुई थी। उसके बाद वर्ष, 2013 वाला अधिनियम आया तो किसानों को लगा कि हमें बहुत पैसे मिल जायेंगे।

श्री सभापति- आपने पजेशन ले लिया था तो क्या आपने एफ0आई0आर0 दर्ज की कि किसान आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे है।

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, यह अवैध कब्जा ही है।

श्री सभापति- अवैध कब्जा होना आपत्ति का पार्ट तो हो नहीं सकता है। आपने जब किसी जमीन पर एक बार कब्जा ले लिया है और उसके बाद किसान जबर्दस्ती घुस आये तो यह आडिट आब्जेक्शन का पार्ट नहीं है यह एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है कि आप अपनी जमीन को कैसे बचायें।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जिस जमीन पर यह कब्जा नहीं ले पाये उसके बदले इन्होंने किसानों को पैसा दे दिया था। यह तो विकास प्राधिकरण का फाल्ट हुआ।

श्री सभापति- यह कह रहे हैं कि इन्होंने कब्जा ले लिया था और इन्होंने जमीन भी खाली करा ली थी लेकिन वह घुस आये।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, आडिट आब्जेक्शन के समय ऐसा नहीं बताया गया है। उसमें यह आपत्ति है, जो इनकी अनुपालन आख्या से आ रहा है जितनी जमीन इन्होंने अधिग्रहित की थी और किसानों को इन्होंने पैसा भी दे दिया था। यह सारी जमीन को डेवल्प नहीं कर पाये, वह जमीन खाली पड़ी रही।

श्री सभापति- सारी जमीन तो डेवल्प नहीं हो सकती है। कोई भी अथारिटी न तो करती है और न ही होता है। आडिट आब्जेक्शन का विषय यह है कि आपने जमीन का भुगतान किया कब्जा नहीं लिया। इनका कहना है कि हमने एक बार कब्जा ले लिया

अगर इन्होंने एक बार कब्जा ले लिया और फिर उस पर किसान जबर्दस्ती कब्जा कर लिये है तो जिला प्रशासन और डेवल्पमेंट एथारिटी का एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर फेल्योर है कि किसान जबर्दस्ती इनकी जमीन पर घुस आये। इस पर आडिट आब्जेक्शन नहीं हो सकता है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- आपत्ति का पूर्ण विवरण यह है कि "माननीय जनपद न्यायालय द्वारा निर्धारित अवार्ड (प्रतिकर) की धनराशि प्राप्त करने के अतिरिक्त दिनांक 23.09.10 एवं दिनांक 08.04.11 के तहत समझौता के अन्तर्गत देय धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा शताब्दी नगर योजना के अन्तर्गत कंचनपुर धोपला एवं नगला शेरखाँ उर्फ जैनपुर की 620 एकड़ जमीन पर भौतिक कब्जा न प्राप्त करने के कारण विकास प्राधिकरण को रू0 2,07,05,52,000.00 की आर्थिक क्षति। कब्जा प्राप्त न करने के कारण यह क्षति हुई है।

श्री सभापति- आप कह रहे है कि कब्जा प्राप्त नहीं किया है जबकि यह कह रहे हैं कि हमने कब्जा प्राप्त किया है। क्या आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य है जिससे यह पता चले कि आपने कब्जा प्राप्त किया है?

श्री चन्द्रपाल तिवारी- मान्यवर, साक्ष्य है परन्तु इस समय यहां पर नहीं है।

श्री सभापति- आप कंफर्म कर लीजिये अगर इन्होंने आपत्ति लगायी है तो उस वक्त आपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया होगा।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, समस्या यह है कि यदि प्राधिकरण उसको ऐसे ही खाली छोड़ देगा तो कोई-न-कोई उस पर कब्जा करेगा। उसको नियोजित करा करके थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर ले, उसको विपणन करा दे तभी और लोगों को एक्चुअल कब्जा मिलेगा। प्राधिकरण जब तक यह नहीं करेगा तब तक दिक्कत रहेगी।

श्री सभापति- आप जो बता रहे है कि आपने पजेशन लिया है उसके साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिये और अगर पजेशन लेने का कोई साक्ष्य नहीं है तो फिर लापरवाही निश्चित की जायेगी कि आपने पैसा ले करके जो आपकी जिम्मेवारी का हिस्सा था, या तो अपनी जमीन को बचाते, वहां पर चौकीदार छोड़ते, पुलिस चेक पोस्ट बनाते या फिर जो भी आप कर सकते थे वह करते लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिसका लाभ उठा करके लोगों ने वहां पर अवैध कब्जा कर लिया। यह जिम्मेदारी आप लोगों की तय होती है। आपने उस भूमि का एक बार कब्जा लिया, इसके साक्ष्य आप प्रस्तुत करें तब तक यह प्रकरण लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

जनपद-अयोध्या

क्र0सं0-1, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-पृ0सं0-158, प्रस्तर क्रमांक-4.6, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-बकाया धनराशि पर ब्याज की गणना न किये जाने के कारण निधि को रू0 1010897.00 की क्षति, कार्यालय/यूनिट का नाम-अयोध्या विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर सं0-भाग-'क' प्रस्तर-एक(1), सन्निहित धनराशि-रू0 1010897.00

(आडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री विशाल सिंह- मान्यवर, मै माननीय समिति को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछली बार जो 02 लोगों के बारे में कहा गया था कि उनसे वसूली कर लेनी चाहिए। उनको आर0सी0 जारी कर दी गयी है। हम आपको आर0सी0 की प्रति भी उपलब्ध करा देंगे।

श्री सभापति- आप एजेण्डे में लिख रहे है कि आवंटी द्वारा दिनांक 29.06.2015 को धनराशि जमा कर दी गयी, अतः ब्याज की देयता नहीं बनती है। दोनों उल्टी बातें हो गयी हैं। आपने पिछली बैठक में यह माना था कि ब्याज की देयता बनती है और आपने आर0सी0 भी जारी कर दी। शहिद अली तो इसका फायदा उठा लेगा कि आपने विधान सभा की समिति में स्वीकार किया कि हम पर कोई देयता नहीं है। आप हमसे जबर्दस्ती ले रहे हैं।

श्री विशाल सिंह- मान्यवर, पिछले साल का आया होगा जो लेटेस्ट है उसमें लिखा है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इन्होंने कल आर0सी0 जारी होने के साक्ष्य दिखाये थे लेकिन जवाब में यही लिखा है कि धनराशि जमा कर दी गयी है अतः ब्याज की देयता नहीं बनती है।

श्री सभापति- इसे संशोधित कर लीजियेगा।

श्री विशाल सिंह- मान्यवर, संशोधित आख्या पुनः प्रेषित करा देंगे।

श्री सभापति- यह मिसप्रिंट हो गया है जो देयता है उसकी आर0सी0 जारी कर दी गयी है। अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्र0सं0-2, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-पृ0सं0-158, क्रं0सं0-4.6, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-भूमि अर्जन व्यय मद हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा रू0 1735723.00 की कटौती के कारण प्राधिकरण को आर्थिक क्षति, कार्यालय/यूनिट का

नाम-अयोध्या विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर सं0-भाग-'क' प्रस्तर-एक(3), सन्निहित धनराशि-रू0 19231813.00

(आडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री विशाल सिंह- मान्यवर, इस विषय पर माननीय समिति द्वारा निर्देश दिये गये थे कि अनुपयोगी भूमि पर परियोजना प्रारम्भ करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारण किया जाय। उक्त संबंध में शासन की परियोजना प्रारंभ करने संबंधी विस्तृत टिप्पणी हमने दिनांक 27.10.2023 को भेजी है। जिसमें उल्लिखित है कि :-

1. अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तत्कालीन अयोध्या फैजाबाद महायोजना 2021 के अन्तर्गत प्रस्तावित फैजाबाद बाई-पास रोड के किनारे ट्रांसपोर्ट नगर के विकास के लिए ग्राम-गद्दोपुर की भूमि का चयन किया गया था। अयोध्या फैजाबाद महायोजना 2021 के अन्तर्गत यह भूमि कृषि उपयोग में चिन्हित थी। जिसे ट्रांसपोर्ट नगर के लिए प्रस्तावित करते हुए अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
2. ग्राम गद्दोपुर की 4.20 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना संख्या 808/9-आ-3-95-43एल-ए0-92 दिनांक 17 फरवरी, 1995 द्वारा जारी की गयी तथा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एवं कब्जा दिनांक 15.11.1995 को प्राप्त किया गया था।

3- इसी के समीप ग्राम गद्दोपुर के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर द्वितीय चरण हेतु 7.0137 एकड़ भूमि दिनांक 23.06.1996 को अभिनिर्णय घोषित करते हुए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के द्वितीय चरण के लिए अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण को प्रदान की गयी।

4- अधिग्रहीत की गयी ये दोनों भूमि एक दूसरे से सटी हुई थी तथा महायोजना में प्रदर्शित फैजाबाद बाई पास (वर्तमान में सहादतगंज से अयोध्या मार्ग) के दायीं और स्थित थी।

श्री सभापति- आप इसको संक्षिप्त में बता दीजिये।

श्री विशाल सिंह- मान्यवर, संक्षिप्त में यह है कि हमारा फर्स्ट फेज विकसित है, काम चल रहा है। फेज-2 के आने से पूर्व अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए हमने धनराशि उपलब्ध करा दी थी लेकिन उसी समय लखनऊ-गोरखपुर हाईवे बन गया। लखनऊ-गोरखपुर हाईवे बनने के बाद उसमें पानी का सारा फ्लो उसी तरफ वहीं से निकलकर जाता है। वहां पर लगातार जल-भराव की स्थिति आने लगी। हाईवे बन रहा था और बन गया था तो वह भूमि इस उपयोग नहीं समझी गयी कि इस पर

ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जाय। जो पुराना फेज-1 विकसित था वह तो चल रहा है। इसलिए बाद में उस योजना को रिकॉल कर लिया गया और जो धनराशि वहां पर जमा की गयी थी। जो नियम में है, जो जी0ओ0 है उसके अनुसार ही उनके पास जो पैसा है वह उन्होंने काट लिया है। अधिग्रहण करने का जो पैसा लेते हैं उसमें से 10 प्रतिशत धनराशि काटते हैं। जी0ओ0 के अनुसार उन्होंने धनराशि काटी है, इसलिए वह नुकसान हुआ है। इसमें दो चीजें थीं, एक तो यह था कि भूमि का गलत चयन क्यों किया गया? जब भूमि का चयन किया गया तत्समय वह सही था लेकिन बाद में एन0एच0 बन गया जिसकी वजह से वह भूमि यूटिलाईज नहीं हुई। इसमें जी0ओ0 के अनुसार ही हुआ है कोई वित्तीय अनियमित्ता नहीं हुई है।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, इसमें धनराशि व्यय हो गयी है किन्तु उद्देश्य की कोई पूर्ति नहीं हुई है। इनको अपने बुक्स आफ एकाउण्ट में उतनी धनराशि दिखाकर उसको राइट आफ कराना होगा, जो उनका प्राफिट है उससे उसको माइन्स कराना होगा या किसी योजना में उसको भारित कराना पड़ेगा। यह ई0डब्लू0एस0 का उसी प्रकार का प्रकरण है, क्योंकि आपने जो धनराशि व्यय की वह एक उद्देश्य से व्यय की, वह उद्देश्य हो नहीं पाया जिससे लॉस हो गया। इसमें अनियमित्ता नहीं हुई है।

श्री विशाल सिंह- मान्यवर, इस निर्देश के क्रम में अभी हमारी वशिष्ट कुंज योजना आ रही है हम उसमें इसे भारित कर लेंगे।

श्री नितिन रमेश गोकर्ण- मान्यवर, इसमें दो ही विकल्प है, या तो ये किसी योजना में भारित करें या आपने प्राफिट से इसको राईट आफ करे। जैसे आपने ई0डब्ल्यू0एस0 में निर्देश दिया है उसी प्रकार इसमें भी लागू होगा।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह इनका आन्तरिक मामला है, आडिट ने ध्यान दिलाया है कि इसमें इतने का नुकसान हुआ है।

श्री सभापति- इस प्रस्तर में या तो इसको भारित करें या तो इसको निस्तारित करें।

श्री विशाल सिंह- मान्यवर, हम इसको भारित कर लेंगे।

श्री सभापति- ठीक है, इसको निस्तारित किया जाता है।

(निस्तारित)

क्रम0सं0-वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 158, क0स0 4.6 ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, प्राधिकरण द्वारा नियमित की गयी कॉलोनियों से कोई आय प्राप्त नहीं होने से लगभग रू0 1.80 करोड़ की आर्थिक क्षति। कार्यालय /यूनिट का नाम- अयोध्या विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या- भाग क प्रस्तर (एक) (6), सन्निहित धनराशि रू0, 1,07,68.984/-

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री सभापति- इस मामले में क्या हुआ है?

श्री विशाल सिंह- महोदय, इस विषय में अवगत कराना चाहूंगा कि कुल संपत्तियों को अनाधिकृत कॉलोनियों में नियोजित किया गया है, जोकि 137 थी जिसमें से 5 भूखण्ड रिक्त थे और निर्मित भूखण्ड 132 थे। 132 भूखण्ड में से 91 भूखण्ड का मानचित्र शमन स्वीकृत कर दिया है। शेष 41 हैं जिनको नोटिस कर दी गयी है और धन जमा होना है। अब तक हमने रुपये 74,51.32 की धनराशि प्राप्त कर ली है और जो 41 बचे हैं उसमें रुपये 88 हजार की धनराशि हमें प्राप्त करनी बाकी है। इसमें हमने 80 प्रतिशत से अधिक धनराशि वसूल ली है।

श्री सभापति- यह तो सभी धनराशि देने के लिए तैयार होंगे?

श्री विशाल सिंह- हां महोदय, दे रहे हैं।

श्री सभापति- आप इसकी पूर्ण वसूली कर लें, अभी इस प्रस्तर को निस्तारित किया जाता है।

(निस्तारित)

क्रम0सं0-03 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 158, क0स0 4.6 ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, अस्थाई अग्रिम का समायोजन न कराये जाने से रू0 35,49,439.00 की आर्थिक क्षति। कार्यालय /यूनिट का नाम- अयोध्या विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या- भाग क प्रस्तर (एक) (10), सन्निहित धनराशि रू0 35,49.439/-

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री सभापति- यह किसको दिया गया है?

श्री विशाल सिंह- महादेय, इसमें कुछ प्रोजेक्ट ग्राम के होते हैं, वहां से धनराशि प्राप्त होती है, इसमें जे0ई0 को पॉकेट एडवांस दिया जाता था, काम कराने के लिए, यह उस तरह की धनराशियां थीं। जो विभिन्न कार्यो के लिए दी जाती है, फिर उनसे उनका समायोजन कराया जाता है। उसमें ऑडिट टीम के द्वारा आपत्ति रुपये लगभग 35,43,833

दुरूपयोग की व्यक्त की गयी थी, उसमें से लगभग रुपये 29,7.533 का समायोजन करा दिया गया है। कुल रुपये 5,72.280 का समायोजन प्रक्रियाधीन है।

श्री सभापति- यह जो आप इसमें राशि बता रहे है, वह रुपये 35,49.439 की दी है।

श्री विशाल सिंह- महादेय, इसमें से रुपये 29,71.533 जमा हो गयी है।

श्री सभापति- लेकिन आपने जो अग्रिम प्राप्त कर्ता दिखाये है, यहां कितनी राशि है? इसमें रु0, 7,19000 तो एक है।

श्री विशाल- महोदय, यह सभी अलग कैटिगरी के है।

श्री सभापति- कुल मिलाकर यह टोटल रु0, 35,49000 है।

श्री विशाल सिंह- महोदय, इसमें से 29,71000 का समायोजन हो चुका है, केवल 6 लाख बचा है। महोदय, इसमें 80 प्रतिशत से अधिक की वसूली हो चुकी है, तो अनुरोध है कि या तो हमें थोड़ा समय दे दें या इसको निस्तारित कर दिया जाए।

श्री सभापति- अब जो यह बकाया धनराशि है, वह केवल सरकारी विभाग पर है?

श्री विशाल सिंह- महोदय, केवल एक सरकारी विभाग श्री डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म के पास रुपये 385140.00 बकाया है, वही सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें वित्तीय अनियमितता नहीं है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, अगर वसूली 80 प्रतिशत से ज्यादा हो चुकी है तो यह प्रस्तर निस्तारित भी हो सकता है।

श्री सभापति- यह 80 प्रतिशत से ज्यादा वसूली हो गयी है और जो बकाया है वह एक सरकारी संस्था पर है। इस प्रस्तर को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि जिस संस्था पर बकाया है उस पर पत्राचार किया जाए, जिससे कि वह समय से पैसा दे दें। अभी इस प्रस्तर को निस्तारित किया जाता है।

(निस्तारित)

क्रम0सं0-04 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 158, क0स0 4.6 ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, आय की धनराशि रु0 10625228.00 लेखांक न से बाहर रखा जाना। कार्यालय /यूनिट का नाम- अयोध्या विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या- भाग क प्रस्तर छ:4 सन्निहित धनराशि रु0, 1,06,25.228/-

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री विशाल सिंह- महोदय, इस विषय में अवगत कराना चाहूंगा कि विभिन्न चालानों के माध्यम से धनराशि कथित बैंक खातों में पुष्टि की गयी है किंतु इनकी प्रविष्टि देय बुक में न होने के कारण रुपये 1 करोड़ 6 लाख 25 हजार 288 धनराशि के दुरूपयोग की संभावना व्यक्त की गयी है। महोदय, अवगत कराना है कि मा0 समिति की विगत

बैठक में देय बुक आयकर विभाग में जमा होने के कारण से मिलान नहीं कराया जा सका है। देय बुक प्राप्त कर विभिन्न चालानों के माध्यम से प्राप्त धनराशियों का मिलान देय बुक से किया गया है और प्रश्नगत धनराशियों की प्रविष्टि पायी गयी है और हम इसके साक्ष्यों का संलग्न करके भी आपको दे रहे हैं।

श्री सभापति- आप अभी साक्ष्य लेकर आये हैं?

श्री विशाल सिंह- हां महोदय, हम साक्ष्य लेकर आये हैं।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, कल इन्होंने हमें साक्ष्य दिखाये हैं, इसमें छोटे मोटे आमाउंट रह गये है लेकिन 90 प्रतिशत राशि मिल गयी है। तो यह प्रस्तर निस्तारित हो सकता है।

श्री सभापति- ठीक है, इस प्रस्तर को निस्तारित किया जाता है।

(निस्तारित)

(जनपद मुरादाबाद)

क्रम0सं0-01 प्रस्तर क्रमांक- 4.7 भाग-क प्रस्तर-1

(ऑडिट आपत्ति एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गयी)

श्री नितिन कुमार गोकर्ण- महोदय, यह प्रस्तर श्री बाबू लाल यादव लिपिक पुस्तिका का प्रकरण है।

श्रीमती अंजू लता- महोदय, मै मा0 समिति को बताना चाहूंगी कि जो ऑडिट आपत्ति थी, उसमें श्री बाबू लाल लिपिक और ऐसे ही 3 प्रकरण और थे। यह सभी कर्मचारी ऐसे है जिन्होंने 58 वर्ष तक सेवानिवृत्त होने का विकल्प चयन किया था, लेकिन ये 60 वर्ष की अधिवर्षता में सभी सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो महोद, जो इनको लाभ प्राप्त हुए थे वह 08,14, तथा 24 वर्ष था, जो इन्होंने विकल्प चयनित किया था, उसके आधार पर हुए थे। जबकि इनको जो लाभ प्राप्त होने थे वह 10,16,21 तथा 26 वर्ष की सेवा पर होन चाहिए थे। इसमें जो अब तक की धनराशि है जब उसको हमने कैलकुलेट कराया तो वह लगभग रुपये 1 लाख 1898 की धनराशि हमने सभी कार्मिकों से वसूल करके जमा करा दी है और इसकी आख्या भी हमने प्रस्तुत कर दी है तथा चालान की कॉपी मै अपने साथ लेकर आयी हूं।

श्री सभापति- आप लोगों ने इसको 58 वर्ष के हिसाब से फिक्स किया है?

श्रीमती अंजू लता- हां महोदय।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- आपने पेंशन कैसे कैलकुलेट किया है?

श्रीमती अंजू लता- जो उनको 58 वर्ष के लाभ दिये गये थे, उसको हमने रिवाइज करते हुए, क्योंकि वह 60 वर्ष पर रिटायर हुए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो उनकी देय धनराशि थी, उसकी कटौती करते हुए हमने उनकी पेंशन पुनरीक्षित कर ली है।

श्री नितिन कुमार गोकर्ण- महोदय, इस प्रकार के बाकी के प्राधिकरणों में भी यही निकला है, तो ऐसे तमाम मामलों में जिन्होंने 58 साल का विकल्प दिया था लेकिन बाद में 60 वर्ष पर रिटायर हो गए। उनमें सभी में यही प्रक्रिया अपनायी गयी है।

श्री सभापति- ठीक है, इसको निस्तारित किया जाता है।

(निस्तारित)

श्री नितिन कुमार गोकर्ण- महोदय, मै मा0 सभापति महोदय एवं मा0 सदस्यगणों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने आज की बैठक में जो निर्देश दिये है, हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति- मैं अभी देख रहा था कि पूर्व की बैठकों में आश्वासन दिये गये थे कि हम साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे, उसमें से अधिकतम ऐसे है कि आप लोगों ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अगर बैठक में कोई आश्वासन दिया जाता है तो उसका अनुपालन होना चाहिए। सभी मा0 सदस्यगण, प्रमुख सचिव महोदय, सभी अधिकारीगणों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

(तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुयी)